न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी विनोद कुमार (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या/05/2022 दायर दिनांक 06.01.2022

उनवान

1. रतनलाल पिता मांगीलाल जाति चमार(जटिया) आयु वयस्क निवासी तुर्कियाकला हालमुकाम जटिया मोहल्ला सहनवा चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ।
2. नानालाल पिता मांगीलाल जाति चमार(जटिया) आयु वयस्क निवासी तुर्कियाकला हालमुकाम जटिया मोहल्ला सहनवा जिला चित्तौडगढ।
3. शान्ति पिता मांगीलाल जाति चमार(जटिया) आयु वयस्क निवासी तुर्कियाकला हालमुकाम गांगसा तहसील चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ।
4. सीता पिता मांगीलाल जाति चमार(जटिया) आयु वयस्क निवासी तुर्कियाकला हालमुकाम ठुकरावा तहसील चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ।
5. जेतीबाई विधवा मांगीलाल जाति चमार(जटिया) आयु वयस्क निवासी तुर्कियाकला हालमुकाम सहनवा तहसील चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ (राज.)।

—— वादीगण

बनाम

1. दौला पिता नीमा जाति चमार आयु वयस्क निवासी लांगच तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ(राज.)।
2. भूमिधारी तहसीलदार कपासन जिला चित्तौडगढ (राज.)।

—— प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर.टी.एक्ट

निर्णय दिनांकः 01.11.2022

—:निर्णयः—

वादीगण ने वादपत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 1,2 जाप्ता दीवानी एवं धारा 88—89 एवं 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत् निम्न निवेदन के साथ पेश किया कि ग्राम तुर्कियाकला पटवार हल्का तुर्कियाखुर्द तहसील कपासन के हल्के बेरुनी में खाता संख्या 95 की आराजी संख्या 1448 रकबा 0.45 हैक्टर, आराजी संख्या 1450 रकबा 0.98 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 1.43 हैक्टर स्थित है जिसके साबिक आराजी संख्या 848/4 रकबा 7 बीघा थे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

यह कि वाद पत्र की उपरोक्त कालम संख्या एक में वर्णित साबीक आराजी संख्या 848/4 रकबा 7 बीघा के खातेदार काश्तकार प्रतिवादी दौला पिता नीमा चमार निवासी लांगच तहसील कपासन थे जो संलग्न साबीक जमाबन्दी से स्पष्ट है। उपरोक्त खातेदार दौला ने दिनांक 22/12/1993 को गॉव तुर्कियाकला तहसील कपासन के मांगीलाल पिता बालु चमार को अपनी खातेदारी की उपरोक्त आराजी संख्या 848/4 रकबा 7 बीघा लगानी 5 रुपये 25 पैसा को जरिये बहनामा (विक्रय पत्र) के विक्रय मूल्य रुपया 50,000/—अक्षरे पचास हजार रुपया में विक्रय कर विक्रय मुल्य प्राप्तकर बहनामा निष्पादन पंजीयन उपपंजीयक कपासन के कार्यालय से बहनामा पंजीयन करा आराजी बहसुदा का कब्जा उक्त मांगीलाल पिता बालु चमार निवासी तुर्कियाकला को सौप दिया तब से उक्त आराजी पर खरीददार मांगीलाल व उनकी मृत्यु उपरान्त वारीस वादीगण काबीज है वजह सबूत विक्रय पत्र की फोटो प्रतिलिपि संलग्न है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2023.02.15 13:40:56 IST
Reason: SelfAttested

यह कि साबीक आराजी संख्या 848/4 रकबा 7 बीघा उपरोक्तनुसार वादीगण के स्वर्गीय पिता मांगीलाल चमार निवासी तुर्कियाकला की जरिये रजिस्टर्ड बहनामा खरीदशुदा है विगत समय तहसील क्षेत्र का सैटलमेन्ट हुआ और खरीददार मांगीलाल जो कि अनपढ होकर उन्हे कानूनी ज्ञान नही था बाद खरीद तत्काल आराजी खरीद का

इन्तकाल अपने नाम नही खुला सके और सेटलमेन्ट के बाद आराजी नं. बदलकर उक्त साबीक आराजी संख्या 848/4 के नये आराजी संख्या 1448 रकबा 0.45 हैक्टर, आराजी संख्या 1450 रकबा 0.98 हैक्टर कायम हुए जो संलग्न मिलान शीट से स्पष्ट है, अज्ञानतावश आराजी खरीददार के नाम अंकित नही हुई और बावजूद विक्रय आराजी आज तक बेचवाल प्रतिवादी दौला पिता नीमा चमार निवासी लांगच के नाम पर गलत दर्ज चली आ रही है।

यह कि वादग्रस्त उपरोक्त वर्णित आराजीयात वादीगण संख्या एक से चार के पिता व वादीगण संख्या पांच के पति मांगीलाल की खरीदशुदा है जो वादीगण के नाम खातेदारी अंकित होनी चाहिये थी। अतः यह घोषणा कराई जाना आवश्यक हो गया है कि वाद पत्र की उपरोक्त चरण संख्या एक दो व तीन में वर्णित अनुसार वादग्रस्त उपरोक्त जायदाद जो कि प्रतिवादी संख्या एक दौला ने वादीगण के पूर्वज मांगीलाल को विक्रय कर दी और उक्त मांगीलाल जिनका स्वर्गवास दिनांक 13/07/2021 को हो गया है। जिनके वादीगण जाइन्दा विधिक वारीस है और वादीगण बहशुदा आराजी को अपने नाम खातेदारी हक से दर्ज कराने के अधिकारी है। अतः यह घोषणात्मक डिक्री बहक वादीगण प्रदान कराई जावें। कि वाद पत्र की चरण संख्या एक में वर्णित ग्राम तुर्कियाकला पटवार हल्का तुर्किया खुर्द तहसील कपासन की हाल आराजी नं. 1448 रकबा 0.45 हैक्टर आराजी नं. 1450 रकबा 0.98 हैक्टर का उपरोक्त वर्णित कालम अनुसार वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे और प्रतिवादी दौला पिता नीमा चमार निवासी लांगच का नाम हटाया जावें। उक्त आशय की खातेदारी अधिकारी की घोषणात्मक डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण प्रदान कराई जावें।

यह कि बावजूद विक्रय प्रतिवादी दौला का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज चला आ रहा है जो वृद्ध है कभी भी किसी भी समय दीगर लोग उसे बहका फुसलाकर आराजी का किसी भी प्रकार से मुन्तकीली दस्तावेज अन्तरण करवा सकते है और वादीगण के कब्जे के साथ दखलन्दाजी का असफल प्रयास कर सकते है अतः स्थाई निषेधाज्ञा डिक्री इस आशय की प्रदान कराई जावे कि वाद के निर्णय तक वाद पत्र वर्णित हाल आराजी संख्या 1448, 1450 एवं उसके किसी भी हिस्से को प्रतिवादी अन्य किसी भी भांति के दस्तावेज से अन्य किसी को अन्तरित नही करे वादी के कब्जे के साथ दखल नही करे उक्त कृत्य प्रतिवादी स्वयं नही करे न अन्य से करावें राजस्व कर्मचारी मौजूदा रेकार्ड की यथास्थिति हेतु सहयोग करावें। स्थाई निषेधाज्ञा जारी होने के उपरान्त प्रतिवादीगण को कोई हानी नही होगी न होने की दशा में वादीगण को अतुल्यनीय क्षति हो सकती है जिसका मुल्यांकन रुपयों में संभव नही होगा।

यह कि वादीगण के पिता स्व. श्री मांगीलाल जी की मृत्युपरान्त राजस्व रेकार्ड में अपने नाम पर नामान्तरण हेतु निवेदन पटवार हल्का से करने पर उक्त आराजी का नामान्तरण नही खुलवा जाहिर पटवारी हल्का से हुआ अतः बिना किसी देरी के यह वाद पेश है दिनाक 20/09/2021 को राजस्व इन्द्राज न होने की जानकारी हुई जिससे उक्त दिनांक से बिनाय दावा पैदा होकर निरन्तर हो रही है।
अन्त में वादीगण ने प्रार्थना की कि–

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(क) खातेदारी अधिकारी की घोषणा की डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की प्रदान कराई जावे कि मौजा तुर्किया कला पटवार हल्का तुर्किया खुर्द तहसील कपासन की हाल आराजी संख्या 1448 रकबा 0.45 हैक्टर आराजी संख्या 1450 रकबा 0.98 हैक्टर के वादीगण खातेदार काश्तकार होकर वाद पत्र की पैरा संख्या एक दो तीन व चार अनुसार उक्त आराजी को अपने नाम खातेदारी दर्ज कराने के अधिकारी है।

(ख) कि स्थाई निषेधाज्ञा डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की जारी फरमाई जावे कि वाद के निर्णय तक प्रतिवादी संख्या एक आराजी जैर बहस एवं उसके किसी भी हिस्से को अन्य किसी को किसी भी दस्तावेज से रहन बह मुन्तकील नही करे वादीगण के कब्जे के साथ दखलन्दाजी अवरोध बाधा पैदा नही करे उक्त कृत्य स्वयं नही करे न ही किसी अन्य से करावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2023.02.15 13:40:56 IST
Reason: SelfAttested

(ग) कि हर्जा खर्चा वकील मेहनताना व अन्य दाद जो मुफिद वादीगण हो प्रदान कराई जावे।

हमने वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। दिनांक 02.03.2022 को प्रतिवादी सं0 1 की ओर से अधिवक्ता श्री अनिल नामधर का अधिकार पत्र मय इकबालिया जवाब प्रस्तुत जो शा0 फा0 किया गया। साक्ष्यवादी में वादी रतनलाल का शपथ पत्र प्रस्तुत होकर दस्तावेज प्रदर्श अंकन कराये। हाल जमाबन्दी सम्वत् 2074–77 प्रदर्श–1, साबिक जमाबन्दी सम्वत् की प्रमाणित फोटोप्रति प्रदर्श–2, मिलान शीट की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–3, असल विक्रय पत्र प्रदर्श–4, असल विक्रय पत्र की छायाप्रति प्रदर्श–4ए, खरीददार मांगीलाल का मृत्यु प्रमाण–पत्र प्रदर्श–5 अंकन कराये। सम्पूर्ण पत्रावली, दस्तावेज व प्रस्तुत शपथ पत्र का अवलोकन किया। अतः प्रस्तुत दस्तावेजो के अवलोकन से खातेदार दौला द्वारा साबिक आराजी संख्या 848/4 रकबा 7 बिघा जरिये विक्रय पत्र विक्रय करना रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से प्रमाणित है। संलग्न मिलान शीट से उक्त आराजीयात के हाल आराजी नम्बर 1448, 1450 बने है। साबिक आराजी संख्या 848/4 व नवीन नम्बर 1448, 1450 खातेदार दौला पिता नीमा जाति चमार के नाम दर्ज रेकार्ड है। उक्त खातेदार प्रतिवादी दौला द्वारा जवाब इकबालिया प्रस्तुत कर वाद पत्र के तथ्यों को स्वीकार किया है। अतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर यह निर्णय दिया जाता है कि मौजा तुर्कियाकला पटवार हल्का तुर्कियाखुर्द तहसील कपासन के हल्के बेरुनी में खाता संख्या 95 की आराजी संख्या 1448 रकबा 0.45 हैक्टर, आराजी संख्या 1450 रकबा 0.98 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 1.43 हैक्टर में दर्ज दोला पुत्र नीमा जाति चमार सा0 देह खातेदार के बजाय रतनलाल, नानालाल, शान्ति, सीता पिता मांगीलाल जाति चमार (जटिया), जेतीबाई पत्नी मांगीलाल जाति चमार (जटिया) सा0 तुर्कियाकला हिस्सा प्रत्येक का 1/5 दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(विनोद कुमार)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी कपासन

Signature Not Verified

Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2023.02.15 13:40:56 IST
Reason: SelfAttested